कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा / माध्य / शालादर्पण / 60304 / वो–2 / 2020 / 42 दिनांक: 23.12.2020

1. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, राजस्थान।
2. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक।
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक / प्रारम्भिक।
4. समस्त प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान।
5. समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।
6. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा।
7. समस्त संस्था प्रधान / पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (पीईईओ), राजकीय विद्यालय।

विषय – शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से कार्मिकों को अन्य विद्यालय / कार्यालय में शिक्षण / कार्य व्यवस्थार्थ लगाये जाने के संबंध में।

प्रसंग – इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक : 25.11.2020 एवं 11.12.2020

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्रों के क्रम में लेख है कि शिक्षा विभाग में कार्यरत कार्मिकों को विद्यालय / कार्यालय में शिक्षण / कार्य व्यवस्थार्थ लगाए जाने के संबंध में शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध मॉडयूल के माध्यम से ही आदेश जनरेट कर ऑनलाईन कार्यमुक्ति / कार्यग्रहण किए जाने हेतु निर्देशित किया गया था। साथ ही पूर्व से शिक्षण / कार्य व्यवस्थार्थ अन्य विद्यालयों / कार्यालयों में नियुक्त कार्मिकों को भी उक्त मॉडयूल के माध्यम से आदेश जनरेट करते हुए 10 दिसम्बर, 2020 तक कार्यमुक्त / कार्यग्रहण करवाने हेतु निर्देशित किया गया था।

शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाईन उपस्थिति रिपोर्ट का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि अभी भी बहुत से कार्मिकों को उक्त शिक्षण / कार्य व्यवस्थार्थ मॉड्यूल के माध्यम से ऑनलाईन कार्यमुक्त / कार्यग्रहण नहीं करवाया गया है। इस संबंध में आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि शिक्षण / कार्य व्यवस्थार्थ कार्यरत समस्त कार्मिकों को निर्देशानुसार उक्त मॉड्यूल के माध्यम से अविलम्ब ऑनलाईन आदेश जनरेट कर कार्यमुक्त / कार्यग्रहण करवाया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा नियंत्रण अधिकारी / आदेशकर्त्ता अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

(सौरभ स्वामी)
आइ.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान–जयपुर।
2. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा एवं अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान शिक्षा परिषद्, जयपुर।
3. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रारंभिक शिक्षा) विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
4. तकनीकी निदेशक, एनआईसी, जयपुर।
5. उपनिदेशक, शाला दर्पण प्रकोष्ठ, जयपुर।
6. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
8. रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर